



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082024-256509
CG-DL-E-21082024-256509

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3215]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946

No. 3215]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2024

का.आ. 3531(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में NH731B के कि.मी. 70.060 से कि.मी. 89.281 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी /विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (उप जिलाधिकारी) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच

करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में NH731B के कि.मी. 70.060 से कि.मी. 89.281 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: वाराणसी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: राजातालाब					
गांव का नाम: जलालपुर					
1	286	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
2	287	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
3	288	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
4	377	निजी	कृषि	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
5	380	निजी	कृषि	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
गांव का नाम: देईपुर					
6	694	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
गांव का नाम: गजेपुर					
7	759	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
8	782	निजी	कृषि	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
गांव का नाम: कपसेठी					
9	691	निजी	कृषि/अकृषक	0.105 (हेक्टेयर)	0.105
10	692	सरकारी	पी.डब्ल्यू.डी. सिचाई विभाग	0.053 (हेक्टेयर)	0.053
11	693	निजी	कृषि	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
12	696	निजी	कृषि	0.023 (हेक्टेयर)	0.023

13	757	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
14	758	अन्य	कृषि/बंजर	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
15	809	निजी	कृषि	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
16	810	अन्य	कृषि/चकरोड	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
17	813	निजी	कृषि	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
18	815	निजी	कृषि	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
गांव का नाम: लखनसेनपुर					
19	459	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
20	460	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
21	480	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
22	529	अन्य	कृषि/ सड़क	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
23	532	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
गांव का नाम: पुरन्दरपुर					
24	520	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
गांव का नाम: जगसीपुर					
25	28	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
26	29	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
27	37	सरकारी	रास्ता	0.0002 (हेक्टेयर)	0.0002
गांव का नाम: परमंदापुर					
28	567	सरकारी	नवीन परती	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005
29	568	सरकारी	आबादी	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
30	570	सरकारी	आबादी	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
गांव का नाम: लोहारडीह					
31	103	सरकारी	आबादी	0.0003 (हेक्टेयर)	0.0003
32	104	निजी	कृषि	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
33	105	निजी	कृषि	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
गांव का नाम: नेवादा					
34	315	निजी	कृषि	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
35	688	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002

गांव का नाम: सिरिहिरा					
36	269	सरकारी	रास्ता	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
37	270	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
38	271	सरकारी	चकमार्ग	0.0002 (हेक्टेयर)	0.0002
39	272	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
40	274	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
गांव का नाम: कुरौना					
41	860	निजी	कृषि	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005
42	867	सरकारी	आवादी	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
43	935	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
कुल योग					0.3287

[फा. सं. CE-RO/NH(O)/NH-731B/2021-22/3A]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2024

S.O. 3531(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for construction (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH731B in the stretch of land from Km. 70.060 to Km. 89.281 in the district of VARANASI in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority/Spacial Land Acquisition Officer (Sub Divisional Magistrate) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH731B in the stretch of land from Km. 70.060 to Km. 89.281 in the district of VARANASI in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: VARANASI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Rajatalab					
Village: Jalalpur					
1	286	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
2	287	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
3	288	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
4	377	Private	Agriculture	0.003 (Hectare)	0.003
5	380	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
Village: Deipur					
6	694	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
Village: Gajepur					
7	759	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
8	782	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
Village: Kapsethi					
9	691	Private	Agriculture/Non-Agriculture	0.105 (Hectare)	0.105
10	692	Government	PWD Irrigation Department	0.053 (Hectare)	0.053
11	693	Private	Agriculture	0.013 (Hectare)	0.013
12	696	Private	Agriculture	0.023 (Hectare)	0.023
13	757	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
14	758	Common	Agriculture/Barren	0.012 (Hectare)	0.012
15	809	Private	Agriculture	0.003 (Hectare)	0.003
16	810	Common	Agriculture/Chakrod	0.01 (Hectare)	0.01
17	813	Private	Agriculture	0.013 (Hectare)	0.013
18	815	Private	Agriculture	0.006 (Hectare)	0.006
Village: Lakhansenpur					
19	459	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
20	460	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
21	480	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
22	529	Common	Agriculture/Road	0.004 (Hectare)	0.004
23	532	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
Village: Purandarpur					
24	520	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
Village: Jagasipur					
25	28	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
26	29	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002

27	37	Government	Road	0.0002 (Hectare)	0.0002
Village: Parmandapur					
28	567	Government	Naveen Parati	0.0005 (Hectare)	0.0005
29	568	Government	Habitation	0.001 (Hectare)	0.001
30	570	Government	Habitation	0.016 (Hectare)	0.016
Village: Loharadih					
31	103	Government	Habitation	0.0003 (Hectare)	0.0003
32	104	Private	Agriculture	0.003 (Hectare)	0.003
33	105	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
Village: Nevada					
34	315	Private	Agriculture	0.012 (Hectare)	0.012
35	688	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
Village: Sirihara					
36	269	Government	Road	0.001 (Hectare)	0.001
37	270	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
38	271	Government	Chakmarg	0.0002 (Hectare)	0.0002
39	272	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
40	274	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
Village: Kurouna					
41	860	Private	Agriculture	0.0005 (Hectare)	0.0005
42	867	Government	Habitation	0.001 (Hectare)	0.001
43	935	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
Total					0.3287

[F. No. CE-RO/NH(O)/NH-731B/2021-22/3A]

ABHAY JAIN, Director